

29/9/25

पत्रावली न्यायालय श्रीमान राजेश ठाकुर
 अधिकारी, महेन्द्र ले प्राय ईडी/प्राची का
 दावा, प्राची-पत्र शोका न निपम ॥
 व १५१ आ.पी. के तहत लीका विवा
 आकर खारिज विवा आ युक्त
 है। अब इस प्राची-पत्र का कोई
 औचित्य नहीं। शतः प्राची का प्राची-पत्र
 इसी तल पर खारिज विवा आता है।
 पत्रावली प्रमल कुमार होकर
 नम्बर ले कम से आकर दाखिल
 वार्य है/क

